भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1610

09.02.2026 को उत्तर के लिए

बढ़ता मानव-पशु संघर्ष

1610. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केरल सहित कई राज्यों में बढ़ते वन्यजीव हमलों और उनमें होने वाली मौतों से अवगत है.

(ख) क्या केंद्र सरकार को केरल सहित अन्य राज्यों से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में आवश्यक संशोधन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को रोका जा सके;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केरल राज्य ने राज्य में बढ़ते मानव-पशु संघर्षों को दूर करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार स्थिति की समीक्षा करने और मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक बुलाने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में अधिनियम की अनुसूची । और अनुसूची ॥ में वन्यजीवों की प्रजातियों की सूची का युक्तिकरण भी शामिल था। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए नियामक ढांचे का प्रावधान है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों में सबसे पहले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रशासन कार्रवाई की जाती है। मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें संबंधित ग्राम सभा के साथ परामर्श अनिवार्य किया गया है।

ii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (क) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को पशुओं के शिकार के लिए परमिट जारी करने का अधिकार देती है। अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत आने वाले ऐसे वन्य पशुओं के शिकार के लिए राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या किसी भी अधिकृत अधिकारी को परमिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जो मानव जीवन के लिए खतरा बन गए हों। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या किसी भी अधिकृत अधिकारी को अधिनियम की अनुसूची-II के अंतर्गत आने वाले वन्य पशुओं के शिकार के लिए परमिट जारी करने का अधिकार देती है, यदि ऐसे पशु मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बन गए हों।

iii. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों नामतः राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क बनाया गया है, ताकि वन्य जीवों और उनके पर्यावासों का संरक्षण किया जा सके।

iv. मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी, 2021 को एक परामर्श-पत्र जारी किया गया। मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3 जून, 2022 को दिशानिर्देश भी जारी किए परामर्श में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, अनुग्रह राहत राशि की समीक्षा और शीघ्र भुगतान के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों के गठन, आदि की सिफारिश की गई है।

v. मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए मंत्रालय ने 21.03.2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मकाक, जंगली सूअर, भालू, नीलगाय और काला हिरण शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में मानव-वन्यजीव संघर्षों के समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय ने मीडिया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने जैसे विभिन्न मुद्दों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए फील्ड मैनुअल भी जारी किया है। मंत्रालय ने वन्यजीवों पर रैखिक अवसंरचनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

vi. मंत्रालय द्वारा देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्राप्त कार्यकलापों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा संचालित बिजली की बाड़, जैव-बाड़, सीमा दीवारें आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और स्थापना शामिल है, ताकि फसलों के खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोका जा सके, मवेशियों को चुरा ले जाने, फसलों को नुकसान पहुंचाने, जान-माल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा देने जैसे उपाय किए जाते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए जाते हैं।

vii. रेडियो कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर वॉल और ई-निगरानी जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी किया जाता है।

viii. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380(1)(छ) के अनुसार देश में 32 प्रमुख बाघ गलियारों की पहचान की है। एनटीसीए दिशानिर्देश (2012) और मानक संचालन प्रक्रियाएं बाघ और उनके पर्यावास के प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शन करती हैं। इसी प्रकार, मंत्रालय ने 2023 में देश में 150 हाथी गलियारों की भी पहचान की है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर आस-पास के भूभाग में हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।

ix. मंत्रालय मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। राज्य वन विभाग मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार्य करता है, मानव-पशु सघर्ष के बारे में आम जनता को संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन एवं सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाता है जिसमें विभिन्न समाचार माध्यमों से सूचना का प्रदान करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य वन विभाग स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कुछ वन्यजीव प्रजातियों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचने, मानव जीवन, संपत्ति और वन्यजीवों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सचेत करते हैं। मंत्रालय ने कोयंबटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एसएसीओएन), डब्ल्यूआईआई-साउथ इंडिया सेंटर में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की पहल भी की है।

****